



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

“कचनार, पर्यावरण परिसर

ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016

फोन: 2466970, 2464318

फैक्स: (0755) – 2462136

ईमेल: epcobpl@sancharnet.in

क्र.: 2053 / एफको / 2010

दिनांक: 26.07.2010

विषय:- राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 2010-11

महोदय/महोदया,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष (2010-11) **जैव विविधता संरक्षण** “Biodiversity Conservation” विषय पर यह राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के संचालन हेतु इस विषय के तहत कोई स्थानीय महत्व का विषय भी चुना जा सकता है।

इस अभियान में भाग लेने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत मध्य प्रदेश राज्य की पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय विभागों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। आम जनता में उपरोक्त विषय के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान के अंतर्गत कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ शिविर/ पदयात्रा/ रैलियाँ/ आमसभा/ प्रतियोगिताएँ/ प्रदर्शनी/ नुक्कड़ नाटक/ विज्ञान मेला/ वृक्षारोपण/ जलाशयों की सफाई/ बीज भण्डार की शुरुआत तथा स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रयास इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

अभियान के लिए आवेदन प्रपत्र तथा मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्रपत्र भरने के पूर्व मार्ग दर्शिका तथा सामने वाले पृष्ठों पर दी गई टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ लें। यदि आपकी संस्था इस अभियान में भाग लेना चाहती है तो आवेदन प्रपत्र की मूल प्रति पूर्ण विवरण सहित भरकर क्षेत्रीय संपर्क संस्था **पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको), पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)** को 20 अगस्त 2010 या उसके पूर्व भेजें। अशासकीय संस्थाओं द्वारा संस्था का अभिप्रमाणित पंजीयन प्रमाण पत्र, संविधान, विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट तथा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य अनुभव अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त अभिप्रमाणित अभिलेखों / दस्तावेजों के अभाव में, आवेदन अपूर्ण होने पर, संस्था के पते का स्पष्ट उल्लेख न होने पर अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन करते समय जागरूकता घटक एवं कार्यवाही घटक हेतु गतिविधियाँ पृथक-पृथक दर्शायी जावें। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न मार्गदर्शिका में जानकारी दी गयी है।

संलग्न:- आवेदन पत्र एवं मार्गदर्शिका

डॉ. यू. आर. सिंह
संचालक (शोध एवं प्रशिक्षण)



जहाँ है हठियाली ।
वहाँ है च्छायाली ॥

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)
National Environment Awareness Campaign
(Sponsored by Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)

2010-11

राष्ट्रीय विषय
National Theme

“जैव विविधता संरक्षण”
"Biodiversity Conservation"

सहभागिता हेतु मार्गदर्शिका
Guidelines for Participation

कृपया प्रपत्र (परियोजना प्रस्ताव) भरने के पूर्व मार्गदर्शिका का अध्ययन अवश्य कर लें
Please read before filling up the form (Project Proposal)

आवेदन पत्र सभी सहपत्रों सहित क्षेत्रीय संपर्क संस्था को नीचे दिये गये पते पर
20 अगस्त 2010 या इसके पूर्व भेजें।
Completed proforma with supporting documents to be sent to the RRA
on or before 20th August 2010 at the following address :



EPCO

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, एफको
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016
दूरभाष – 2464318, 2460189, फ़ैक्स – 0755-2462136
ई मेल – epcobpl@sancharnet.in
वेब साइट – www.epco.in

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010-11

मार्गदर्शिका

विषय : "जैव विविधता संरक्षण"

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 1986 से निरन्तर आयोजित कर वर्ष 2010-11 में भी जारी रहेगा। इस अभियान में चुनी हुई स्वैच्छिक संस्थाएं, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक संघ, वैज्ञानिक निकाय, सामुदायिक संगठन और अन्य एजेन्सियाँ भाग लेती हैं।

अभियान के दौरान आयोजित किये जा सकने वाले कार्यक्रमों की सूची परिशिष्ट 1 पर दी गई है। देश के सामने मौजूद एक दूसरे से जुड़ी कई पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए यह अभियान उन विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं पर केन्द्रित होगा जिनका संबंध स्थानीय के साथ-साथ क्षेत्रीय भी हो।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति के तत्वावधान में यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी अभियान के आयोजन के स्वरूप को विकेंद्रित रखा गया है। इस दिशा में म.प्र. के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको), भोपाल को क्षेत्रीय सम्पर्क संस्था का कार्य सौंपा गया है।

क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी की भूमिका

क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी मंत्रालय को अपने क्षेत्र के अभियान की योजना बनाने, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करेगी। क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी के मुख्य कार्य निम्न होंगे :-

1. क्षेत्र की सभी इच्छुक संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं आवेदन प्रपत्र वितरण।
2. आवेदक संस्थाओं के लिए प्रपत्र के संबंध में मार्गदर्शन व सहयोग संबंधी कार्यशाला का आयोजन।
3. प्राप्त आवेदनों की छानबीन करना, सारांश बनाना एवं तत्पश्चात् प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. प्राप्त आवेदनों के चयन में प्राधिकृत समिति को सहयोग प्रदान करना।
5. चयनित संस्था से कुल स्वीकृत राशि की 75% राशि, के बराबर राशि की बैंक गारंटी (Bank Guarantee) लेना तथा निर्धारित समय में प्रतिवेदन रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखा, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में उक्त बैंक गारंटी को भुनाकर राशि भारत शासन को लौटाना।
6. क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं को अभियान की गतिविधियां आयोजित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि का वितरण करना।
7. क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित अभियान की गतिविधियों का पर्यवेक्षण।
8. जिन संस्थाओं को राशि वितरित की गई हो, उनके संपरीक्षित (आडिटेड) लेखा का संयोजन
9. प्रतिभागी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, लेखा विवरण प्राप्त कर संयोजित उपयोगिता प्रमाण पत्र व लेखा विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
10. प्रत्येक प्रतिभागी संस्था की गतिविधियों की मूल्यांकन रपट बनाना।

आमंत्रण

इस अभियान के परिचय के साथ आवेदन प्रपत्र का प्रारूप प्रदेश की पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रही सभी प्रमुख संस्थाओं, समूहों तथा सभी इच्छुक संगठनों को भेजे जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें निर्धारित प्रारूप में पूर्ण प्रस्ताव एफको कार्यालय, भोपाल को ही भेजना है, केन्द्रीय मंत्रालय को नहीं। **केन्द्रीय मंत्रालय को भेजे गये किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा गैर पंजीकृत समितियाँ/ट्रस्ट वित्तीय सहयोग के लिए पात्र नहीं है।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की साधिकार समिति आवेदन प्रस्तावों की समीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता निश्चित करेगी। साधिकार समिति के निर्णयों को एफको द्वारा भाग लेने वाली संस्था को सूचित किया जायेगा। यह अनुदान दो किशतों में देय होगा।

- (क.) प्रथम किशत जो कि स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा होगी, समान राशि की बैंक गारंटी एफको को देने के पश्चात् दी जायेगी।
- (ख.) द्वितीय किशत (25 प्रतिशत राशि) उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण इत्यादि प्राप्त होने के बाद दी जायेगी।
- (ग.) निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण इत्यादि प्रस्तुत न करने वाली संस्थाओं को द्वितीय किशत का भुगतान नहीं किया जाएगा साथ ही ऐसी संस्थाओं द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी, एफको द्वारा जब्त (Encash) कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी समस्त संस्थाओं को ब्लेक लिस्टेड करते हुए भविष्य में भारत शासन द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

अभियान के लिये निर्धारित समयावधि

1. सभी कार्यक्रमों का आयोजन **05 नवम्बर 2011 से 28 फरवरी 2011** के मध्य होना चाहिए।
2. सभी कार्यक्रम **28 फरवरी 2011** तक निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाने चाहिए।
3. साधिकार समिति द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें अभियान इस वर्ष के मुख्य विषय के महत्व को स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया हो तथा स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को कार्यक्रम में सुनिश्चित किया गया हो।
4. पर्यावरण चेतना के लिये गैर पारम्परिक प्रसार साधनों के प्रयोगों का स्वागत है। उदाहरणार्थ : प्रतियोगिता के पुरस्कारों हेतु पुर्नचक्रीकृत सामग्री का उपयोग किया जावे।
5. कार्यक्रम में कार्यवाही घटक का कुछ हिस्सा लिया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण चेतना में सुविधा हो सके। लेकिन इस अभियान में भौतिक संरचना के निर्माण पर आधारित परियोजना पर विचार किया जाना संभव न होगा। ऐसी गतिविधियां अलग से आयोजित अनुवर्ती कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकती है।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत किसी भी तरह की स्थायी संपत्ति या उपकरण खरीदी के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकेगी।
7. उन परियोजनाओं को अनुकूल रूप से आंका जायेगा जिनमें एक से अधिक सहभागी संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा हो।
8. प्रतिभागी संस्था द्वारा कार्यक्रम की तिथियों तथा स्थान के संबंध में एफको को कम से कम 2 सप्ताह पहले देना चाहिए, जिसके अभाव में द्वितीय किशत रोक दी जायेगी।
9. प्रत्येक प्रतिभागी संस्था को **15 मार्च 2011** के पूर्व एफको को कार्यक्रम की विस्तृत रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण, समाचार कटिंग्स तथा फोटोग्राफ्स आदि भेजना आवश्यक है।

10. अभियान के अन्तर्गत संस्थाओं को वित्तीय सहयोग की राशि सामान्यतः **रु. 10,000/- से अधिकतम रु. 30,000/-** तक हो सकती है, अतः प्रस्तावित परियोजना इस सीमा को देखकर ही बनाई जानी चाहिए।
11. एफको में भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 20 अगस्त 2010** है। आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नक ए-4 साइज में संलग्न करें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. आवेदन प्रपत्र की मुख्य प्रति एफको को तथा छायाप्रति स्वयं अपने पास रखें।
2. प्रपत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शिका अपने पास रखें।
3. प्रस्ताव में कार्यवाही एवं जागरूकता घटक दोनों के अन्तर्गत गतिविधियां प्रस्तावित की जावे तथा दोनों घटकों के लिए बजट प्रावधान भी पृथक-पृथक दर्शाया जावे। इनके अंतर्गत गतिविधियों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।
4. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आप अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत "जैव विविधता संरक्षण" से संबंधित स्थानीय महत्व के विषयों का चयन कर सकते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर निम्नांकित उस विषय के अंतर्गत कार्यक्रम किए जा सकते हैं:-
 - ऊर्जा संरक्षण की तकनीक को अपनाने हेतु प्रचार प्रसार (Campaign for adoption of techniques for Conservation of Energy)
 - स्थानीय प्रजातियों का रोपण (Plantation of local species)
 - गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु प्रयास (Adoptation of non conventional energy sources)
 - जनसहभागिता से वेटलैण्ड संरक्षण (Wetland conservation with public participation)
 - सामुदायिक सहभागिता से जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity conservation with community participation)
 - प्लास्टिक अपशिष्ट/ नगरीय अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन (Management of plastic waste, urban solid wastes and bio-medical waste)

जागरूकता घटक : उपरोक्त विषय पर कार्यशाला, शिविर, आमसभा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पदयात्रा, रैली, शैक्षिक सामग्री का निर्माण, उत्सव, लोक संचार, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ, विज्ञान मेला आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

कार्यवाही घटक : इसके अंतर्गत क्षेत्र के जल स्रोतों/तालाबों की सफाई, सफाई अभियान, वृक्षारोपण (औषधीय पौधों को शामिल करते हुए), बीज भण्डारण की शुरुआत/संचय, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता पंजी तैयार करना इत्यादि का आयोजन सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

5. बजट तैयार करने के उपरान्त आवेदन पत्र के अंतिम पृष्ठ पर संक्षेपिका में भरने के लिए बजट का ब्रेकअप निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सम्पूर्ण बजट में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रावधान होते हैं **प्रथम वर्ग** के अंतर्गत Logistic Expenditure (Denoted by L) i.e. बैठक व्यवस्था, बैनर, स्वल्पाहार, स्वागत सामग्री, परिवहन, फोटोग्राफी आदि व्यय इसके तहत तथा **द्वितीय वर्ग** के अंतर्गत Resource Expenditure (Denoted by R) में मानदेय, शैक्षणिक सामग्री तैयार करना, पम्पलेट व पोस्टर आदि का व्यय समाहित होंगे। आवेदन पत्र को भरते समय ऊपर दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार प्रस्तावित व्यय को श्रेणी में विभक्त कर संक्षेपिका में पृथक-पृथक उल्लेख करें। कृपया ध्यान रखें कि विभिन्न मदों में दर्शायी गयी कुल राशि रु. 30,000/- से अधिक न हो।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010-11

सम्बद्ध समूह (Target Group)

विद्यार्थी / युवा	Student/Youth
शिक्षक	Teachers
नारी	Women
स्वयं सेवी संगठन/स्वयं सेवक	NGOs/Voluntary workers
किसान / ग्रामीण जन	Farmers/Rural Population
सामान्य जनता	General Public
सामाजिक कार्यकर्ता	Social workers
सेना के जवान	Armed Forces Personnel
औद्योगिक श्रमिक	Industrial Workers

कार्यक्रम (Activities)

(अ) जागरूकता घटक	Awareness Component	(ब) कार्यवाही घटक	Action Component
कार्यशाला	Workshop	जल स्रोतों/तालाबों की सफाई	Cleaning of waterbodies/ tanks
प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training course	सफाई अभियान	Cleanliness Drive
शिविर	Camp	वृक्षारोपण (औषधीय पौधों को शामिल करते हुए)	Plantation (Including medicinal Plants)
पदयात्रा	Padyatra	बीज भण्डारण की शुरुआत / संचय	Initiating seen banks/ collection
रैली	Rally		
आमसभा	Public meeting		
प्रदर्शनी	Exhibition	स्थानीय स्तर पर जैव विविधता पंजी तैयार करना	Preparation of biodiversity registers at local level
परियोजना प्रदर्शन	Demonstration Projects		
दृश्य-श्रव्य सामग्री का निर्माण	Preparation of Audio Visual Materials	सफाई अभियान	Cleanliness drive
लोक संचार	Folk Media		
नुक्कड़ नाटक	Street Theatre		
उत्सव	Festivals		
प्रतियोगिता	Competition		
विज्ञान मेला	Science Fair		
सी डी रोम तथा अन्य मल्टीमीडिया उपकरणों की तैयारी तथा उपयोगिता	Preparation/Use of CD-ROM & other multi-media tools		

टिप्पणी: जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के समय यह ध्यान रखा जाये कि चयनित मुद्दों / विषयों में कार्यवाही घटकों का समावेश हो, इससे स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी तथा समुदाय को लाभ मिलेगा। **कार्यवाही घटक के बिना प्रस्तावों को सहयोग प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जावेगा।**

Note: While the above activities could be used for creation of awareness, the proposal must also include an action-oriented component related to the issue identified, which would result in concrete action preferably involving local people and in benefiting the community. **Proposals without action component would not be considered for assistance.**



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010-11
National Environment Awareness Campaign 2010-11

“जैव विविधता संरक्षण”
"Biodiversity Conservation"

परियोजना प्रस्ताव
Project Proposal

इसे सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नलिखित पते पर 20 अगस्त 2010 या इसके पूर्व पूर्ण रूप से भरकर भेजें।

The completed proforma with supporting documents should be sent on or before 20th August 2010 at the following address.

कार्यपालन संचालक

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एण्को)

पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016

संस्था का नाम	(कृपया संस्था का नाम स्पष्ट लिखें इसी नाम से संस्था को स्वीकृत राशि विमुक्त की जायेगी)	जिला (जिसमें संस्था कार्य करेगी)
स्वरूप	पंजीकृत / शासकीय / स्कूल-कालेज / अन्य	कृपया चिन्हित करें (✓)

For Office Use Only

Date Received	
Code No.	

सामने वाले पृष्ठ को भरने के लिए टिप्पणी
Notes on filling up the opposite page

1. **परियोजना का नाम :** कृपया संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट लिखें कि परियोजना किस प्रकार की है।
Project Title: Please make it short and precise, indicating clearly the nature of the project.
2. **आयोजक संस्था :**
Implementing Agency:
 - (क) **नाम व पता :** संस्था का पूरा नाम, कार्यालयीन पता, टेलीफोन व फ़ैक्स नं., ई-मेल पता (यदि हो तो)
 - a. **Name and Address:** Give full name and office address, telephone No. Fax No. and E-Mail ID (if available).
 - (ख) **संस्था का स्वरूप :** संस्था का स्वरूप दर्शाये – क्या यह शासकीय संस्था, पंजीकृत /अपंजीकृत सोसायटी/ न्यास, विश्वविद्यालय विभाग /स्कूल/कॉलेज, अनौपचारिक समूह या अन्य हैं कृपया स्पष्ट करें।
 - b. **Nature of Agency:** indicate status of organization/ whether a government institution registered/ unregistered. Society/ Trust, University department/ School/ College, non-formal group, or any other category (please specify).
 - (ग) कृपया संस्था का अभिप्रमाणित पंजीयन प्रमाण पत्र, संविधान, न्यासविलेख आदि के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों का संपरीक्षित लेखा विवरण संलग्न करें। इन कागजात के बिना परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा। यह अभिलेख अशासकीय, अकादमिक एवं शोध संस्थाओं द्वारा भी प्रस्तुत किया जायेगा।
 - c. Please furnish registration details (along with an attested copy of Registration certificate). Memorandum of Association/Trust Deed etc. and latest audited statement of account for last three financial years. The project proposal will be considered only after the receipt of these documents. These documents need to be submitted in respect of non govt. academic and research institution also.
3. **सम्पर्क व्यक्ति :** ऐसे व्यक्ति का नाम व कार्यालय तथा आवास का पता जिससे परियोजना के संबंध में सम्पर्क किया जा सके। टेलीफोन, मोबाइल तथा फ़ैक्स नंबर / ई-मेल (यदि हो तो) भी लिखें।
Contact persons: Give name(s) and office and home addresses of the person(s) who can be contacted in connection with this project. Give telephone /Mobile No. and Fax No./ E-mail (if available) also.
4. **सहायक संस्थाएं :** परियोजना में सहयोग देने वाली स्थानीय संस्थाओं, संगठनों, शासकीय विभागों के नाम उनकी पूर्व सहमति के साथ लिखें, उनकी सहमति का प्रमाण संलग्न करें।
Collaborating/supporting agencies: Give name of local authorities, organizations. Government departments, etc that will support the project or collaborate. Prior approval of such collaborating agencies should be obtained before listing them here. Proof of the consent of such agencies shall be attached.

सामने वाले पृष्ठ को भरने के लिए टिप्पणी
Notes on filling up the opposite page

5. परियोजना का विवरण Project Details:

(क) परियोजना का प्रकार : कृपया परियोजना की गतिविधियों को जागरूकता घटक एवं कार्यवाही घटक के रूप में अलग-अलग स्पष्ट करें। गतिविधियों में निम्नांकित शामिल हो सकते हैं।

(a) **Type of project:** Indicate clearly and separately the awareness activities and the action component that the project would involve. The activities could be:

जागरूकता घटक (Awareness Activities)

कार्यशाला / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / शिविर Workshop/Training course/ Camp	विज्ञापन / पोस्टर / बैनर अभियान Advertisement/Poster/Banner Campaign
आमसभा / रैली / जत्था / पदयात्रा Public meeting/Rally /Jatha /Padayatra	शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण और उपयोग / वितरण (प्रकाशन, शैक्षणिक किट, पोस्टर, दृश्य-श्रव्य सामग्री इत्यादि) Preparation & use /distribution of resource material (publication, educational kits, posters, audio-visuals, etc).
व्याख्यान / फिल्म शो / दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम Lecture/Film show/Audio-visual show	
नाटक / नुक्कड़ नाटक / अन्य लोक शैली (स्पष्ट करें) Drama/Street theatre/Other folk media (Specify)	
प्रतियोगिता / प्रदर्शनी / प्रत्यक्ष प्रदर्शन Competition/exhibition/Demonstration	Other (specify) अन्य (उल्लेख करें)

कार्यवाही घटक (Action Component)

वृक्षारोपण (Plantation)
वेटलैण्ड संरक्षण (Wetland Conservation)
औषधीय पौधों का रोपण (Plantation of medicinal plants)

चुने गये जागरूकता एवं कार्यवाही घटक प्रस्ताव के मूल विषय से संबंधित होना चाहिए ।

The selected activities shall be related to the theme of the proposal.

(ख) **विषय** पर्यावरण से संबंधित विषय को लिखें जिस पर परियोजना केन्द्रित होगी। (कृपया मार्गदर्शिका की महत्वपूर्ण जानकारी क्र. 4 तथा परिशिष्ट 1 देखें)

(b) **Theme(s):** Describe the specific subjects of environmental concern that the project would address. (Please see S.No. 4 under Important informations of guidelines & annexure 1).

(ग) **सम्बद्ध वर्ग** : कृपया दर्शाएँ कि परियोजना समाज के किस वर्ग से जुड़ी है तथा अनुमानित कितने लोग परियोजना से लाभांविक्त होंगे। कृपया परिशिष्ट -1 की मदद लें।

(c) **Target groups:** Please indicate the section of society the project is aimed- at and the approximate numbers of people expected to be covered by the activities. Please use Annexure-1 for help.

(घ) **स्थान** : कृपया प्रत्येक गतिविधि के लिये प्रस्तावित स्थानों के नाम लिखें।

(d) **Location** : Indicate the proposed venues of each of the project activities.

(च) अवधि व कार्यक्रम तिथियां : प्रस्तावित गतिविधियों के प्रत्येक स्थान हेतु संभावित तिथियां लिखें।

(e) **Date and duration** : Indicate tentative schedules of each activity proposed, at each location.

5. Project Details/ परियोजना का विवरण :

(a). Type of project/ परियोजना का स्वरूप

i. **Awareness Activities जागरूकता गतिविधियां (*)**

ii. **Action component कार्यवाही घटक (*)**

(b). Theme(s): विषय जिस पर परियोजना केन्द्रित है

(c). Target Groups/ सम्बद्ध समूह :
परियोजना समाज के किन वर्गों से सम्बद्ध हैं?

(d). Locations/ स्थान : कृपया प्रत्येक गतिविधि का सही स्थान लिखें।

(e). Dates and Duration / तिथियां व समयावधि : (कृपया प्रत्येक गतिविधि की तिथियां तथा समयावधि लिखें)

* उपरोक्त कालम 5(a) को भरने के पूर्व मार्गदर्शिका (महत्वपूर्ण जानकारी) के बिन्दु क्रमांक 4 को अवश्य देखें।

सामने वाले पृष्ठ को भरने के लिए टिप्पणी
Notes on filling up the opposite page

6. **परियोजना लिये जाने का कारण:** परियोजना का ध्येय बतायें कि परियोजना से किस तरह पर्यावरण चेतना सुधार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

Justification : Describe the objectives of the project. Indicate what environmental awareness/Improvement benefits, it aims to bring about.

7. **उपलब्धि सूचक :** कृपया स्पष्ट करें कि परियोजना समाप्ति पर इसकी उपलब्धियों को किस तरह आंका जा सकता है।

Success Indicators: Specify clearly how the achievements / success of the project can be determined after its completion.

8. **क्रियान्वयन योजना का विवरण:** परियोजना के क्रियान्वयन में विभिन्न चरण का विवरण दें।

Plan of implementation: Provide a break-up of the stages in the implementation of the project, indicating clearly the time-frame for each phase.

9. **अनुवर्ती कार्यक्रम:** परियोजना के बाद की गतिविधियां बतायें जिससे परियोजना का प्रभाव बना रहे। क्या आपकी संस्था ऐसी गतिविधियां स्वयं आयोजित कर सकती हैं।

Follow up: Please describe what activities are planned as a follow up, to keep up the impact created by this project. Will your organization be able to support such follow up activity on its own?

10. **पूर्व अनुभव :** क्या आपने पूर्व वर्षों में इस अभियान में हिस्सा लिया था। यदि हां तो वर्ष और अनुदान राशि प्रत्येक वर्ष की अलग अलग बतायें तथा यह भी बतायें कि तत्संबंधी आवश्यक कागजात जैसे उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, लेखा विवरण भेजे गये या नहीं।

Past Experience: Please indicate whether participated in NEAC in the past, if yes, mention the years in which participated, along with the grant sanctioned in each year. Also mention whether necessary documents like Utilization certificate, Report of Activities and Statement of Accounts submitted or not.

6. **Justification/ परियोजना लिये जाने का कारणः**

7. **Success Indicators/ उपलब्धि सूचक : (कृपया बतायें इन्हें कैसे आंका जा सकता है)**

8. **Plan of implementation/ आयोजन की रूपरेखा :**

9. **Follow up/ अनुवर्ती कार्यक्रम : परियोजना के प्रभाव को बताये रखने के लिए बाद की गतिविधियां । (क्या आपकी संस्था यह कार्य स्वयं करेगी ?)**

10. **Past Experience of Participating in NEAC/ राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान में भागीदारी का पूर्व अनुभव**

S.No. क्र.	Year of participation प्रतिभागिता वर्ष	Grant received in (Rs.) प्राप्त अनुदान (रूपयों में)	Submitted (✓) Not Submitted (X)		
			Utilisation Certificate उपयोगिता प्रमाण पत्र	Statement of Accounts लेखा विवरण	Activity Report गतिविधि प्रतिवेदन
1	2006-07				
2	2007-08				
3	2008-09				
4	2009-10				

सामने वाले पृष्ठ को भरने के लिए टिप्पणी
Notes on filling up the opposite page

11. **संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले साधन** : कृपया दर्शायें कि परियोजना के आयोजन हेतु आपकी संस्था किस तरह के साधन उपलब्ध करा सकेगी।
- सामग्री तथा उपकरण।
 - वित्तीय : क्या परियोजना के लिये अनुदान का अन्य स्रोत उपलब्ध है यदि हां तो राशि का विवरण।
 - कार्यकर्ता तथा सहयोगी विशेषज्ञ।

Resources to be provided by the Implementing Agency : Indicate what kind of facilities will be available with your organization for this project :-

- Material & equipment
- Financial : whether other sources of funding are available for the project: indicate quantum of funds available.
- Resource persons and manpower.

12. **बजट** : अनुमानित व्यय में जागरूकता घटक एवं कार्यवाही घटक के लिए अलग-अलग कार्यवार विस्तृत विवरण दें तथा व्याख्यात्मक टीप दें।
- संसाधन सामग्री का निर्माण तथा वितरण।
 - यात्रा एवं परिवहन
 - भोजन/स्वल्पाहार
 - मानदेय, इत्यादि
 - अन्य व्यय (स्पष्ट करें)

टिप्पणी: चूंकि योजना का कार्यवाही घटक श्रमदान की धारणा पर आधारित है इसलिए इसमें श्रमिकों की मजदूरी भुगतान हेतु अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

Budget : Please provide detailed breakup of estimated expenditure for each item of activities in respect of the awareness creation and action component separately and furnish explanatory notes where necessary. The break-up should include details of expenditure to be spent on

- a. Preparation and distribution of Resource material
- b. Conveyance and Travel
- c. Food/refreshments
- d. Honorarium etc.
- e. Other expenses (specify)

Note: Since the activities under action component will be based on Shram Dan concept, no funds will be provided for payment of cost of hired labour.

13. **बैंक का नाम और पता** : कृपया बैंक का नाम और पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें, जिसके मार्फत आपको डिमांड ड्राफ्ट/चैक भेजा जाना है।

Name of the Bank : Please provide complete name and address of the bank on which you would like Demand Draft/Cheque to be made payable.

11. Resources to be provided by the Implementing Agency
संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले साधन (आर्थिक व अन्य)

12. Budget/ बजट

i. Awareness Component जागरूकता घटक

ii. Action component कार्यवाही घटक

13. Name & Address of the Bank/ बैंक का नाम और पता :

Total Funds Requested/ कुल अनुदान राशि रु.

(In words) Rupees.....

Date/ दिनांक :

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील
Signature with seal of the organisation

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010-11
National Environment Awareness Campaign 2010-11

Name of District जिले का नाम (जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं)			
1. Name & Address of the Organisation and Contact person संस्था तथा संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पूर्ण पता			
2. Proposed Programme प्रस्तावित कार्यक्रम Awareness Component जागरूकता घटक Action Component कार्यवाही घटक			
3. Funds required / प्रस्तावित बजट जागरूकता घटक के लिए 1. Logistic Exp. (L) 2. Resource Exp. (R) कार्यवाही घटक के लिए 1 Logistic Exp. (L) 2 Resource Exp. (R) Total		Rs:	
4. Necessary Documents enclosed Put (✓) marks आवश्यक संलग्न दस्तावेज पर चिन्ह (✓) लगायें			Reg. Yr
अ. पंजीयन प्रमाण पत्र (Registration Certificate)	Yes / हाँ	No / नहीं	
ब. नियमावली (By Laws)	Yes / हाँ	No/ नहीं	
स. आडिट लेखा विगत तीन वर्षों का (Audited A/c of Last Three Years)	Yes / हाँ	No/ नहीं	
द. अन्य (Other)	Yes / हाँ	No/ नहीं	
5. Give details of last 4 years of sanctioned amount under this campaign गत 4 वर्षों में इस अभियान के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृत राशि का उल्लेख करें।		वर्ष	राशि (रुपये)

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील

Signature with seal of the organisation

नोट :- बिन्दु क्र. 3 (प्रस्तावित बजट) भरने के लिए मार्गदर्शिका (महत्वपूर्ण जानकारी) के बिन्दु क्र. 5 को अवश्य देखें। उपरोक्त प्रपत्र के सभी बिन्दुओं के समक्ष वांछित जानकारी अपरिहार्य रूप से भरें।